(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1249–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–5–16 पारित द्वारा तहसीलदार, दलौदा प्रकरण कमांक 49/अ–6/2015–16.

1– कमलाबाई उर्फ राधाबाई बेवा मुरलीधर
2– श्यामलाल पिता मुरलीधर
निवासीगण ग्राम नगरी
तहसील दलौदा जिला मंदसौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मीबाई पिता मुलचन्द पति बद्रीलाल
निवासी बरखेडी
तहसील पिपलौदा जिला रतलाम ..... अनावेदिका

श्री रामबाबू पाटीदार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.के. माथुर, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 14/12/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, दलौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, दलौदा जिला मंदसौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम नागरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1123 रकबा 0.021 व सर्वे कमांक 1118/2 रकबा 1.850 आरे के सम्बन्ध में वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 49/अ–6/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–5–16

को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित है, इसलिए तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण में स्वत्व का विवाद है, जिसके निराकरण का अधिकार केवल व्यवहार न्यायालय को ही प्राप्त है । यह भी कहा गया कि जब स्वत्व का प्रश्न उपस्थित हो, तब तहसीलदार को तीन माह के लिए कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त प्रावधानों पर भी कोई विचार नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा की जांच के सम्बन्ध में एवं आवेदकगण की पत्नी व पुत्र होने के सम्बन्ध में भी व्यवहार न्यायालय में बिन्दु विचारणीय है, इस कारण भी तहसीलदार को कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं करने में उनके द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 316 एवं 2007 आर.एन. 297 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय एवं वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाना न्यायोचित नहीं है, इस कारण तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है, जब तक कि व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं दिया गया हो और वर्तमान प्रकरण में व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लम्बित रखने से उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है । तर्कों के समर्थन में 2009 आर.एन. 281 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, परन्तु नामान्तरण की कार्यवाही पर कोई स्थगन नहीं है । अतः आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर

तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस न्यायालय में भी यह निगरानी काफी समय से प्रचलित है, किन्तु पर्याप्त समय उपरान्त भी आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त विचारणीय नहीं हैं । अतः तहसीलदार के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, दलौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–8–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर